उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 19 1-15 अक्टूबर 2024 ₹ 20/-

दुर्गा पूजा के अवसर पर देश के पांच राज्यों में दंगे भड़काने का प्रयास

- जैश-ए-मोहम्मद के 11 आतंकवादी गिरफ्तार
- बलूच लिबरेशन आर्मी का चीनी इंजीनियरों पर हमला
- ईरान-इजरायल युद्ध में खाड़ी देशों के तटस्थ रहने की घोषणा
- सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

दुर्गा पूजा के अवसर पर देश के पांच राज्यों में दंगे भड़काने का प्रयास 04
मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता को बंद करने का सुझाव 08
जैश–ए–मोहम्मद के 11 आतंकवादी गिरफ्तार 10
अजित पवार द्वारा मुसलमानों को 10 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा 11
हज यात्रा के लिए हाजियों का चयन 13

विश्व

बलूच लिबरेशन आर्मी का चीनी इंजीनियरों पर हमला 15
पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमला 16
अफगानिस्तान में व्यभिचार के आरोप में नौ लोगों को सजा 17
अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में राजनयिक संबंध 18
बांग्लादेशी करेंसी से शेख मुजीब का चित्र हटाने का फैसला 19

पश्चिम एशिया

ईरान–इजरायल युद्ध में खाड़ी देशों के तटस्थ रहने की घोषणा 20
सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा 21
यमन में हूतियों पर हवाई हमले 22
इजरायली हमले में गाजा सरकार के प्रमुख की मौत 23
रूस द्वारा ईरान का बचाव 24

सारांश

हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने देश के पांच राज्यों के 26 स्थानों पर छापे मारकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए 11 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। इस आतंकी संगठन का मकड़जाल देशभर में फैला हुआ था। इसे कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन अलकायदा की एक शाखा बताया जाता है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने एक वैश्विक आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस संगठन के तार कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। यह संगठन हिंसा के जरिए भारत की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर देश में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता था। सरकार के अनुसार यह आतंकी संगठन मुस्लिम युवकों को गुप्त शिविरों में आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण दे रहा था।

हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान देश के कम-से-कम पांच राज्यों में जिस तरह से दंगे भड़काने का प्रयास किया गया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच समेत देश के एक दर्जन स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूसों और दुर्गा पूजा पंडालों पर कट्टरपंथियों द्वारा हमले किए गए। वहीं, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वे इस्लामी मदरसों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को फौरन बंद कर दें, क्योंकि यह संविधान के विरुद्ध है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि भारत एक सेक्युलर देश है, इसलिए सरकारी खजाने से किसी विशेष धर्म का प्रचार व प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पिछले दिनों अखबारों में अनेक ऐसे सनसनीखेज समाचार प्रकाशित हुए थे, जिनमें दावा किया गया था कि देश के हजारों फर्जी मदरसों की आड़ में सरकार से मोटी धनराशि अनुदान के रूप में वसूली जा रही है। इन मदरसों के प्रबंधकों का यह भी दावा है कि उनके मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चे भी भारी संख्या में पढ़ाई करते हैं। जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके इस दावे की जांच पड़ताल की तो ऐसे दावों को फर्जी पाया गया। यह तथ्य सर्वविदित है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस्लामी मदरसे कुकुरमुत्ते की तरह स्थापित किए जा रहे हैं। इस्लाम के प्रचार व प्रसार के लिए इन मदरसों को विदेशों से भारी मात्रा में अवैध धनराशि प्राप्त हो रही है।

पाकिस्तान के विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) जैसे संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान के पंजाबी शासक चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान की खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं। हाल ही में बीएलए ने कराची हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती हमला करके दो चीनी इंजीनियरों की हत्या कर दी है। इससे पहले स्वात में भी विदेशी राजनयिकों के काफिले पर रिमोट कंट्रोल के जरिए हमला किया गया था। इस हमले में विदेशी राजनयिक बाल-बाल बच गए थे। पाकिस्तानी सेना पर पंजाबियों का वर्चस्व है, इसलिए वह बलूचों और पख्तूनों का उत्पीड़न कर रही है। यही कारण है कि खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा पाकिस्तानी सेना पर निरंतर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही में इन हमलों में भारी तेजी आई है।

ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था उसमें खाड़ी देशों ने पलीता लगा दिया है। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद की एक बैठक दोहा में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह साफ कर दिया गया कि अगर ईरान और इजरायल में युद्ध होता है तो वे तटस्थ बने रहेंगे। इससे इस्लामी वहदत (एकता) का सपना चूर-चूर हो गया है। ■

दुर्गा पूजा के अवसर पर देश के पांच राज्यों में दंगे भड़काने का प्रयास

हिंदू त्योहार दुर्गा पूजा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के अवसर पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से दंगे भड़काने की साजिश रची गई। जिन राज्यों में दंगे भड़काने का प्रयास किया गया उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाएं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूसों पर पथराव की हैं। सबसे भीषण दंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए। छह दिन गुजर जाने के बावजूद इन दंगों की ज्वाला अभी तक शांत नहीं हुई है। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है ताकि दंगों का विस्तार न हो। बताया जाता है कि बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में डीजे बजाए जाने पर एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने आपत्ति की। इस दौरान जुलूस में शामिल एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई।

अवधनामा (15 अक्टूबर) के अनुसार इस घटना के बाद दंगों की ज्वाला आसपास के क्षेत्र में फैल गई और दंगाइयों ने अस्पताल और शोरूम में आग लगा दी। कई मकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। दंगों की सूचना मिलते ही लखनऊ से सशस्त्र पुलिस भारी संख्या में मौके पर भेजी गई। प्रशासन ने बहराइच के थाना प्रमुख और एक चौकी इंचार्ज को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवारजनों से भेंट की है।

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार इस संदर्भ में अब तक 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दंगाइयों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बहराइच के कस्बा महाराजगंज में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस के अनुसार राम गोपाल मिश्रा की हत्या के दो आरोपी नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे तभी बहराइच के नानपारा क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हो गए। इन आरोपियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इनके नाम सरफराज और तालिब बताए जाते हैं। जिस मकान से मिश्रा पर गोली चलाई गई

उसके मालिक अब्दुल हमीद और उसके बेटे फहीम समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी, एसटीएफ अमिताभ यश ने राम गोपाल मिश्रा पर हमला करने वाले छह आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

इंकलाब (17 अक्टूबर) के अनुसार राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके शरीर पर 46 घाव पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उसके दोनों पैरों के नाखून भी उखड़े पाए गए हैं। हालांकि, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि उसे बिजली के झटके देकर मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस के हाथ एक वीडियो भी लगी है। इस वीडियों में मिश्रा को अब्दुल हमीद के पड़ोसी पप्पू जायसवाल की छत पर चढ़ते हुए दिखाया गया है। इसी वीडियो में सरफराज द्वारा मिश्रा को बंदूक का निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के आधार पर सरफराज और तालिब को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

उर्दू टाइम्स (15 अक्टूबर) के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बहराइच दंगों के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि इन दंगों को रोका जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एनकाउंटर और गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए मृतक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा ने कहा है कि हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम खून का बदला खून चाहते हैं। रोली के इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है।

उर्दू टाइम्स (16 अक्टूबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि पुलिस शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एकतरफा कार्रवाई कर रही है और दंगा पीड़ित लोगों को अपना निशाना बना रही है। इसी तरह का आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लगाया है।

उर्दू टाइम्स (17 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मस्जिद से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव किया गया। यह घटना टिकैत नगर थाना क्षेत्र के इचौली कस्बे की है। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और तीन दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 अक्टूबर) के अनुसार दंगाग्रस्त क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दंगों में मरने वाले राम गोपाल मिश्रा के परिवारजनों से भेंट की। उन्होंने मिश्रा के परिवारजनों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा और दंगाईयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार आजमगढ़ जिले के दलाल घाट पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों में झड़पें हुई, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति पर काबू पा लिया।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में स्थित

मझौली राज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। विसर्जन जुलूस में नाच रहे युवकों पर अचानक कुछ लोगों ने चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में एक दर्जन युवक घायल हो गए। इस घटना के बाद आयोजकों ने प्रतिमा को जल में विसर्जित करने से इंकार कर दिया और हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस बवाल की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई थानों की पुलिस बुलाई। पुलिस ने युवकों पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी अंगूर आलम को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह हमला पूर्वनियोजित था और इस हमले की तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। उन्होंने पुलिस से मांग की कि इस हमले की साजिश रचने वाले गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।

बिहार में भी कम-से-कम तीन स्थानों पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर हमले के समाचार मिले हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 अक्टूबर) के अनुसार सीतामढ़ी में जुलूस पर दंगाइयों के हमले के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि शरारती तत्वों ने मस्जिद में घुसकर पवित्र ग्रंथों को जला दिया और मुसलमानों के अनेक मकानों व दुकानों पर हमले किए। इस घटना के बाद पूरे शहर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि दंगे न भड़कें।

तासीर (14 अक्टूबर) के अनुसार बिहार के भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र स्थित मौलाबाग दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर कुछ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें चार लोग घायल हो गए। इसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जाता है कि चार हमलावर दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। अस्पताल के डॉक्टर विकास सिंह ने बताया कि चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से दो की हालत नाजुक बताई जाती है।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार बिहार के मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर दोनों ओर से पथराव होने के कारण 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

हमारा समाज (16 अक्टूबर) के अनुसार नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के चेरो बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने बज रहे डीजे को जब्त कर लिया। इसके साथ पूजा कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस घटना के खिलाफ पूरे क्षेत्र में बंद का आयोजन किया गया और गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई। पूजा कमेटी के

महासचिव अशोक रजक ने बताया कि वे प्रतिमा विसर्जन के लिए बख्तियारपुर जा रहे थे। इस जुलूस में एक पिकअप वाहन पर डीजे लगा हुआ था, जिसमें धार्मिक गाने बज रहे थे। एक मस्जिद के बाहर डीजे बजाने पर मस्जिद के इमाम और कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का दावा है कि राज्य सरकार ने जुलूसों में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा रखा है।

एक अन्य समाचार के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान आतिशबाजी को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई। बाद में जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उसने लाठीचार्ज करके लोगों को शांत कराया।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित मुथ्यालम्मा मंदिर में घुसकर मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया। जनता ने पुलिस व सरकार के खिलाफ जबर्दस्त प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अज्ञात लोगों के खिलाफ महाकाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर कुछ शरारती तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

इंकलाब (14 अक्टूबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में दुर्गा पूजा उत्सव में ड्राइंग प्रतियोगिता के दौरान बनाई गई रेखा चित्र को लेकर दो संप्रदायों में झड़पें हुई, जिसमें 30 लोग घायल हो गए। जब स्थानीय पुलिस स्थिति पर काबू पाने में विफल रही तो रैपिड एक्शन फोर्स की सहायता लेनी पड़ी। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। हावड़ा की पुलिस अधीक्षक स्वाति भंगालिया ने कहा है कि एक रेखा चित्र बनाने पर एक संप्रदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, जिस पर दोनों गुटों में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया और इस सिलसिले में लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।

रोजनामा सहारा (14 अक्टूबर) के अनुसार पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक धार्मिक स्थल के बाहर कुछ शरारती तत्वों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव किया। जिस पर दो गुटों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में लगभग 30 लोग घायल हो गए। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने के कारण दंगे पर काबू पा लिया गया। अब स्थिति नियंत्रण में है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गढ़वा जिले के लखना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों के बीच जमकर हिंसा हुई। दोनों ओर से एक दूसरे पर पथराव किया गया। जब पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया तो उत्तेजक भीड़ ने पुलिस पर

ही हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उत्तेजक भीड़ ने कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने उग्र भीड़ पर लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि पूजा समिति के अधिकारी जुलूस को एक विशेष रास्ते से ले जाना चाहते थे। उस रास्ते में कुछ मस्जिदें थीं। पुलिस ने दोनों संप्रदायों में संभावित झड़पों को देखते हुए जुलूस को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया और इन मस्जिदों की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी। जुलूस में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया और उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में दो दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है।

■

मदरसों को मिलने वाली सरकारी सहायता को बंद करने की सिफारिश

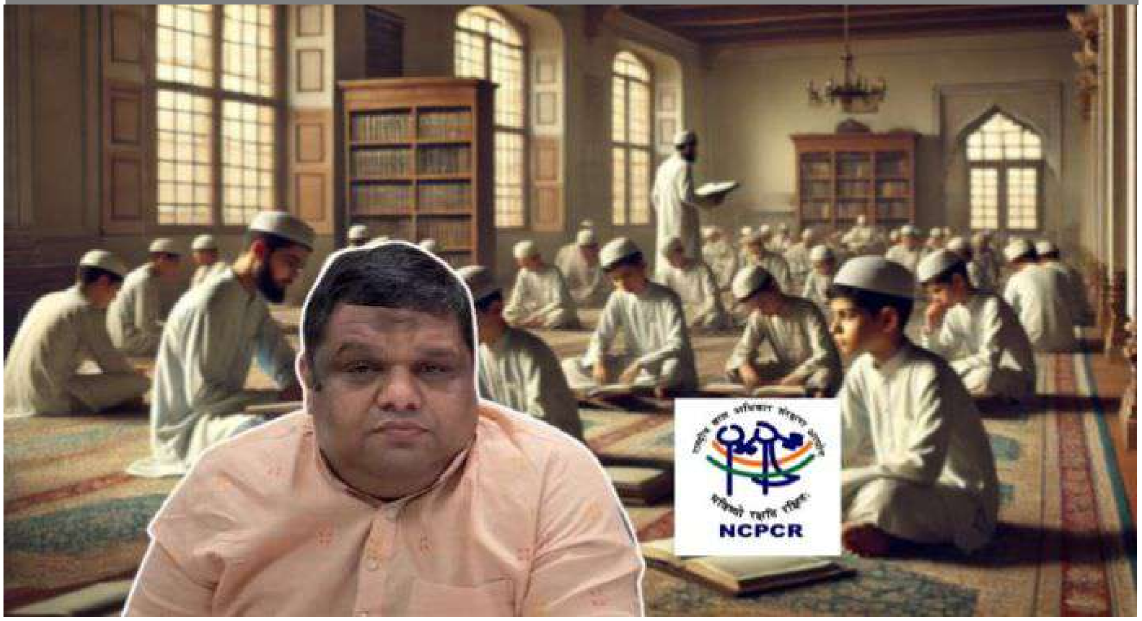

उर्दू टाइम्स (13 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर यह सिफारिश की है कि मदरसों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को फौरन बंद किया जाए, क्योंकि इनमें बुनियादी शिक्षा (बेसिक एजुकेशन) नहीं दी जाती है। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मदरसा बोर्डों को फौरन बंद किया जाए और मदरसों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जाए। एनसीपीसीआर ने कहा है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत सरकारों की यह जिम्मेवारी है कि वे बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। आयोग ने यह भी कहा है कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर-मुस्लिम बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में कराया जाए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 2023-24 में 11 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के खतरे में थे। बाल विवाह को रोकने के लिए आयोग द्वारा कुछ कारगर कदम भी उठाए गए हैं।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार एनसीपीसीआर की इन सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुए मरकजी तालीमी बोर्ड के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने कहा है कि सरकारी संस्थाएं

प्रियंक कानूनगो
Priyank Kanoongo
अध्यक्ष
Chairperson
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS
नई दिल्ली-110 001
New Delhi - 110 001
INDIA Tomorrow
NCPCR
Markazi Taleemi Board
مرکزی تعلیمی بورڈ
Children vs. Madrasas- A Re

मदरसों को जानबूझकर अपना निशाना बना रही हैं ताकि मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा से दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर की यह सिफारिश संविधान के खिलाफ है। संविधान में अल्पसंख्यकों को यह छूट दी गई है कि वे अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करें और उसमें बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें। उन्होंने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार ने 2009 में बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया था, वह इस्लामी मदरसों और संस्कृत पाठशालाओं पर लागू नहीं होता है। सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिर्फ चार प्रतिशत मुस्लिम छात्र मदरसों में पढ़ते हैं और बाकी छात्र सामान्य स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर इस्लामी मदरसों के खिलाफ जानबूझकर अभियान चलाया जा रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है।

तनवीर ने दावा किया कि इस्लामी मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है, जिनमें विज्ञान, कंप्यूटर, गणित आदि शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश इस्लामी मदरसे सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि उनका संचालन मुस्लिम संप्रदाय द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से किया जाता है। मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के तहत सिर्फ अध्यापकों के वेतन आदि के लिए सरकारी सहायता मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपीसीआर की यह सिफारिश राजनीति से प्रेरित है।

सहाफत (16 अक्टूबर) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एनसीपीसीआर की सिफारिशों की आलोचना की है और उसे संविधान के खिलाफ बताया है।

इंकलाब (15 अक्टूबर) के अनुसार टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के महासचिव हाजी दीवान साहब जमां खां ने कहा है कि जब मदरसों से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं तो ऐसी स्थिति में एनसीपीसीआर को इस तरह की सिफारिशें करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इन सिफारिशों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने की आजादी दी गई है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार एनसीपीसीआर की सिफारिशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून को रद्द करने और मदरसों के छात्रों को अन्य शिक्षण संस्थानों में दाखिल कराने के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश भी जारी किया था। इसके बावजूद एनसीपीसीआर ने मदरसों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को बंद करने की सिफारिश की है।

■

जैश–ए–मोहम्मद के 11 आतंकवादी गिरफ्तार

NIA
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY
GOVERNMENT OF INDIA
NIA

रोजनामा सहारा (6 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की तलाश में देश के पांच राज्यों में छापे मारे और कम-से-कम 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि लगभग दो दर्जन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित एक इस्लामी मदरसा दारुल उलूम महमूदिया और अल करीम दवाखाना पर भी छापा मारा गया। इस मदरसे का संचालक अब्दुल करीम कासमी मौके पर मौजूद नहीं था। एनआईए के अधिकारी पूछताछ के लिए उसके दो बेटों मुफ्ती मोहम्मद असद और मुफ्ती मोहम्मद अहमद को अपने साथ ले गए। मुस्तफाबाद के कुछ निवासियों ने बताया कि सादे लिबास में कुछ लोग सुबह साढ़े तीन बजे आए थे। उनके साथ दयालपुर थाने के एसएचओ भी थे। ये लोग दरवाजा तोड़कर मकान में दाखिल हुए और साढ़े पांच घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। वे अपने साथ दो मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी ले गए हैं।

इंकलाब (7 अक्टूबर) के अनुसार एनआईए के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में स्थित एक मदरसे के छात्र और कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा। एनआईए की टीम ने कई घंटे तक तलाशी की। वे यहां से एक महिला और दो पुरुष को अपने साथ ले गए। बताया जाता है कि ये तीनों बिहार के मूल निवासी थे और पिछले कुछ सालों से देवबंद में रह रहे थे। उनका संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से बताया जाता है। जानकार सूत्रों ने बताया कि हाल ही में बेंगलुरु में कुछ संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए थे। उनसे की गई पूछताछ के बाद इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों की तलाश में देशव्यापी छापे मारे जा रहे हैं।

एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि अभी इस मामले की जांच की जा रही है, इसलिए इस संबंध में अधिक जानकारी देना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह संकेत दिया कि जो लोग पकड़े गए हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उन्होंने विदेशों में जासूसी करने, विस्फोटक पदार्थ बनाने और उन्हें चलाने का प्रशिक्षण ले रखा है। इनका संबंध पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों से पाया गया है। एनआईए को यह सबूत भी मिले हैं कि इन लोगों को संदिग्ध विदेशी स्रोतों से पिछले दो वर्षों में मोटी धनराशि प्राप्त हुई है। इनमें एक पड़ोसी देश के साथ-साथ खाड़ी के कुछ देश भी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनआईए ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और असम में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकवादियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी 26 स्थानों पर की गई। जांच एजेंसियों ने असम के गोवालपारा से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त चार दर्जन अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। असम में जो लोग पकड़े गए हैं उनके प्रमुख का नाम शेख सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बताया जाता है। अयूबी विदेशों में प्रशिक्षित एक जासूस है। उसे

दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके अतिरिक्त एनआईए, एटीएस और आईबी की संयुक्त कार्रवाई में मेरठ के खिवाई कस्बे से एक मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। मेरठ से पकड़े गए युवक का संपर्क पाकिस्तान के एक वाट्सऐप ग्रुप से है, जिसके तार आईएसआई से जुड़े हुए बताए जाते हैं।

गुप्तचर सूत्रों का दावा है कि जैश-ए-मोहम्मद ने पूरे देश में अपना मकड़जाल फैला रखा है और वह राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के लिए युवकों को भर्ती कर रहा है। इस संगठन का लक्ष्य देश की सरकार का तख्ता पलटकर भारत में इस्लामी हुकूमत कायम करना है। जिन अन्य स्थानों पर छापे मारे गए हैं उनमें गोवालपारा, औरंगाबाद, जालना, मालेगांव, बारामूला, पुलवामा, रामबन आदि क्षेत्र शामिल हैं। बताया जाता है कि दिल्ली से जिन संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है वे दो मदरसों और मस्जिद के इमाम के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनानी दवाएं सप्लाई करने का एक कारखाना भी लगा रखा था। वे इसकी आड़ में सऊदी अरब और खाड़ी के अनेक देशों से संपर्क बनाए हुए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि हमारे राज्य में आतंकवादियों की गिरफ्तारी से यह पुष्टि होती है कि हमारे सीमावर्ती राज्यों में इस्लामी आतंकवादियों ने अपने अड्डे बना रखे हैं।

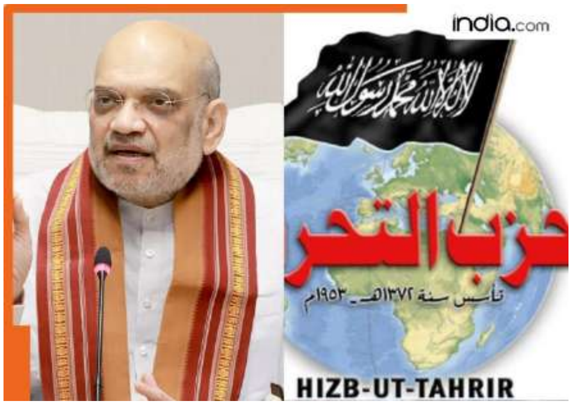

रोजनामा सहारा (11 अक्टूबर) के अनुसार केंद्र सरकार ने इस्लामी आतंकी संगठन हिज्ब उत-तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस वैश्विक आतंकी संगठन की स्थापना 1953 में की गई थी। यह संगठन विदेशी स्रोतों से आर्थिक सहायता लेकर भारत में अशांति फैलाने और देश की सरकार का तख्ता पलटकर इस्लामी हुकूमत स्थापित करने का मंसूबा रखता था। एनआईए ने पिछले महीने इस आतंकी संगठन से जुड़े हुए 37 लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों से गिरफ्तार किया था।

अजित पवार द्वारा मुसलमानों को 10 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा

सियासत (4 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों के वोट लेने के लिए एक नया दांव खेला है। उन्होंने यह घोषणा की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के कोटे से 10 प्रतिशत टिकट मुसलमानों को देंगे। समाचारपत्र के अनुसार पवार का यह फैसला महायुति के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में शामिल शिवसेना (शिंदे गुट) और भाजपा को हिंदुत्व का समर्थक माना जाता है, लेकिन इस गठबंधन में शामिल अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य के 14 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित

करने के लिए यह नया खेल खेला है। हाल ही में अजित पवार ने बारामती में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इस फैसले की घोषणा की थी।

उर्दू टाइम्स (7 अक्टूबर) के अनुसार अजित पवार ने मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए जो नया खेल खेला है उससे महाराष्ट्र में नई चर्चा शुरू हो गई है। अजित पवार जिस सत्तारूढ़ गठबंधन के हिस्से हैं उसमें शामिल भाजपा को मुसलमानों से हमेशा परहेज रहा है। उसके कई नेता खुले आम कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोटों की कोई जरूरत नहीं है। जिस गठबंधन की रणनीति ही मुस्लिम विरोध पर टिकी हो उसके एक घटक दल द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को 10 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा के कारण नई बहस शुरू हो गई है। पवार का यह मुस्लिम कार्ड उनके गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए नया सिरदर्द पैदा कर सकता है। अब चुनावी तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में अजित पवार की इस घोषणा का असर विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति दोनों पर पड़ेगा।

समाचारपत्र का कहना है कि मुस्लिम संगठनों ने अजित पवार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि, उनके गठबंधन में शामिल अन्य दलों की पूरी राजनीति ही मुस्लिम विरोध पर आधारित है। ऐसी स्थिति में क्या वे अजित पवार को उनकी इस नीति को कार्यान्वित करने की अनुमति देंगे? दूसरी ओर, विपक्षी इंडिया गठबंधन, जो देश के संविधान और सेक्युलरिज्म का रक्षक होने का दावा करती है, ने लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। हालांकि, मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र के नगरों में ऐसी स्थिति में हैं कि वे किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

सवाल यह उठता है कि क्या महायुति में शामिल अन्य सहयोगी दल अजित पवार के मुस्लिम कार्ड को स्वीकार कर लेंगे? विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी को भी इस नए चुनावी दांव का तोड़ तलाशना होगा, वरना उन्हें मुस्लिम मत प्राप्त करने में परेशानी होगी।

उर्दू टाइम्स (11 अक्टूबर) के अनुसार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी मदनी ने महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति पर यह आरोप लगाया है कि इन दोनों गठबंधनों की भूमिका प्रारंभ से ही मुस्लिम विरोधी रही है। इसे देखते हुए उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। इस अवसर पर विख्यात गीतकार मजरुह सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब मजरुह सुल्तानपुरी, मौलाना हसरत मोहानी के परपौत्र मोहम्मद शानुल सैयद, विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुर्रब मदनी और मोहम्मद शमीम खान राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की महाराष्ट्र शाखा में शामिल हुए। अंदलीब मजरुह सुल्तानपुरी को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। जबकि शानुल सैयद व एजाज मुल्ला को महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और मोहम्मद शमीम खान को सचिव नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया

मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा पहले ही कर चुकी है।

इंकलाब (12 अक्टूबर) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। समाचारपत्र के अनुसार मदरसों के शिक्षकों के वेतन में तीन गुना वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के बजट में भी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इस संस्थान का बजट 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह संस्थान अल्पसंख्यकों खास तौर पर मुसलमानों को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मंत्रिमंडल के इस फैसले के अनुसार प्राइमरी दर्जे के मदरसों में पढ़ाने वाले डीएड शिक्षकों का वेतन छह हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 16 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जबकि सेकेंडरी दर्जे के मदरसों में पढ़ाने वाले बीएड शिक्षकों का मासिक वेतन आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार कर दिया गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि शिक्षक हमारी नई पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना जरूरी है। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत महाराष्ट्र के मदरसों में छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और उर्दू भी पढ़ाया जाए।

हज यात्रा के लिए हाजियों का चयन

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अगले वर्ष हज पर जाने के इच्छुक लोगों का चयन लॉटरी के जरिए कर लिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी लियाकत अली अफाकी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अगले वर्ष हज पर जाने के लिए 1, 22, 518 लोगों का चयन किया गया है। जबकि 65 साल से अधिक उम्र के 14, 728 लोगों का चयन बिना लॉटरी के किया गया है। उन्होंने कहा कि हज पर जाने के लिए जिन लोगों का चयन किया गया है वे 21 अक्टूबर 2024 तक पहली किस्त के रूप में प्रति व्यक्ति 1, 30, 300 रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करवा सकते हैं। जिन राज्यों के हज यात्रियों का चयन लॉटरी द्वारा किया गया है उनमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जिन राज्यों से हज करने के इच्छुक लोगों के आवेदन निर्धारित कोटे से कम प्राप्त हुए थे उन्हें बिना लॉटरी के ही हज करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त 3717 महिलाओं को भी अकेले हज यात्रा करने की अनुमति दी गई है।

हज यात्रियों की सहायता के लिए 817 स्टेट हज इंस्पेक्टर सऊदी अरब भेजे जाएंगे। इसके

अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों की 200 से अधिक टीमों को भी सऊदी अरब भेजा जाएगा। अफाकी ने कहा कि हज करने के लिए सबसे ज्यादा 24, 484 आवेदन गुजरात से प्राप्त हुए थे, इसलिए उनके चयन के लिए हमें लॉटरी का सहारा लेना पड़ा है। जिन लोगों को हज करने का पात्र पाया गया है उन्हें 23 अक्टूबर 2024 तक अपने आवेदन के साथ-साथ शपथ पत्र, बैंक में जमा की गई धनराशि की रसीद, पासपोर्ट की कॉपी और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित राज्यों की हज कमेटी के पास जमा करवाने होंगे। इस तिथि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।

इंकलाब (8 अक्टूबर) के अनुसार उत्तर प्रदेश से हज करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इस साल राज्य से सिर्फ 15, 458 लोगों ने हज पर जाने की इच्छा प्रकट की है। यही कारण है कि निर्धारित कोटे में से 11 हजार से अधिक स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। समाचारपत्र के अनुसार पहले हज पर जाने के लिए निर्धारित कोटे से कई गुना अधिक आवेदन प्राप्त होते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस संख्या में तेजी से गिरावट आई है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों का कोटा 32 हजार था, लेकिन सिर्फ 19, 702 लोगों के ही आवेदन प्राप्त हुए थे और कोटे के शेष स्थान खाली रह गए थे। इसी को देखते हुए इस साल उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों का कोटा 32 हजार से घटाकर 27, 191 कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि हाल ही में हज के खर्च में भारी वृद्धि हुई है। ऐसे में आर्थिक रूप से बदहाल लोग हज पर जाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने साथ एक सहायक ले जाने की जो अनुमति दी है उसकी वजह से भी हज करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि इससे खर्च में और भी बढ़ोतरी हो जाती है।

समाचारपत्र का कहना है कि सऊदी अरब सरकार ने भारतीय हज यात्रियों का कोटा एक लाख 75 हजार निर्धारित कर रखा है। अब तक 80 प्रतिशत लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सऊदी अरब भेजे जाते थे, लेकिन इस साल उसमें 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। वहीं, प्राइवेट टूर ऑपरेटरों का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

रोजनामा सहारा (8 अक्टूबर) के अनुसार दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां का कहना है कि अगले वर्ष की हज यात्रा के लिए दिल्ली से 2025 लोगों को चुना गया है। जबकि 3557 लोगों ने हज पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त 867 लोगों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।

बलूच लिबरेशन आर्मी का चीनी इंजीनियरों पर हमला

उर्दू टाइम्स (8 अक्टूबर) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने पाकिस्तान के सबसे बड़े नगर कराची में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला किया है। इस हमले में दो चीनी इंजीनियर मारे गए और एक दर्जन लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेवारी बीएलए ने ली है। पुलिस के अनुसार जब ये चीनी इंजीनियर वाहन में सवार होकर जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में दाखिल हो रहे थे तो कुछ सशस्त्र हमलावरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार दोनों चीनी इंजीनियरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटनास्थल से एक अन्य शव भी बरामद किया गया है, जिसकी पहचान नहीं हो सकी है।

पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास के अनुसार जिन चीनी इंजीनियरों पर हमला किया गया है वे पोर्ट कासिम पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे थे। इस परियोजना को चीन के सहयोग से शुरू किया गया था। चीनी दूतावास ने इस हमले की निंदा की है और पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि इस साल बीएलए के पांच हमलों में कम-से-कम तीन दर्जन चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। आतंकवाद निरोधक विभाग ने आतंकवाद निरोधक अदालत को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि इन हमलों का आयोजन एक विदेशी खुफिया एजेंसी के इशारे पर किया गया था। पुलिस ने दावा किया है कि बीएलए ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया है।

कौमी तंजीम (10 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कराची में हुए हमले की निंदा की है और कहा है कि कुछ पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं। वे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश का यह प्रयास है कि ग्वादर परियोजना पूर्ण न हो, क्योंकि अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो इससे पाकिस्तान और चीन के आर्थिक विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। शहबाज ने कहा कि बलूच संगठन सऊदी अरब को भी यह धमकी

दे चुके हैं कि अगर उसने ग्वादर परियोजना में पूंजी निवेश किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने चीनी विशेषज्ञों की पुख्ता सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए हैं।

चट्टान (9 अक्टूबर) के अनुसार कराची में हुए धमाके के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने देशभर से तीन दर्जन से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ताजा जानकारी के अनुसार कराची में हुए धमाके में लगभग 20 लोग घायल हुए हैं। वहीं, चीनी इंजीनियरों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए चीन भेज दिया गया है।

चट्टान (13 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार को कराची में हुए हमले की जांच में सहयोग देने के लिए चीनी गुप्तचरों की एक टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस संदर्भ में पाकिस्तान स्थित चीनी राजदूत से भी लंबी बातचीत की है।

चट्टान (11 अक्टूबर) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने पहली बार यह पुष्टि की है कि बीएलए से जुड़े विद्रोही चीनियों और पंजाबियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रहे हैं। पुलिस में दर्ज एफआईआर में कराची में हुए हमले के लिए बीएलए के कमांडर बशीर अहमद, अब्दुल रहमान और अन्य को आरोपी बनाया गया है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक पड़ोसी देश की एजेंसी ने इन आतंकवादियों को विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध कराए थे। पुलिस के अनुसार यह एक आत्मघाती हमला था। आत्मघाती हमलावर की पहचान बलूचिस्तान के नुश्की निवासी शाह फहद के रूप में हुई है। इस व्यक्ति की उम्र 28 वर्ष है। जबकि बीएलए द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिस हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका संबंध बीएलए की मजीद ब्रिगेड से था और वह उच्च शिक्षा प्राप्त था।

वॉयस ऑफ अमेरिका से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के एक उच्चाधिकारी ने कहा कि एक विदेशी एजेंसी ने इस हमले पर एक करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया है। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान और चीन की संयुक्त परियोजनाओं में 144 चीनी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सुरक्षा मामलों के जानकार और मकरान विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ. मीर सदात बलोच का कहना है कि बीएलए अब बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमला कर रहा है। वह अब सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि एक नियमित सेना में बदल चुका है। पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को यह मशवरा दिया है कि वे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की यात्रा करने में सर्तकता बरतें और बिना सुरक्षा के अपने घरों व कार्यालयों से बाहर न निकलें।

पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमला

कौमी तंजीम (6 अक्टूबर) के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तानी सेना की आतंकवादियों के साथ हुई झड़प में एक लेफ्टिनेंट कर्नल मुहम्मद अली शौकत समेत छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जबकि 22 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के अनुसार इस झड़प में छह आतंकवादी भी मारे गए हैं। बताया जाता है कि इन आतंकवादियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हाफिज गुल बहादुर गुट से था। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैजल करीम कुंदी ने मरने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मलकंद डिवीजन के पुलिस कप्तान ने पत्रकारों को बताया कि एक अन्य अभियान में स्वात में दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों का संबंध उस आतंकवादी गुट से था, जिसने स्वात में विदेशी राजनयिकों के एक काफिले पर हमला किया था। इस हमले में चार पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस पुलिस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि इन आतंकवादियों ने एक वाहन में विस्फोटक पदार्थ भरकर उसे रिमोर्ट कंट्रोल से उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन रिमोर्ट कंट्रोल में आई खराबी के कारण वे विदेशी राजनयिकों के वाहनों को उड़ाने में विफल रहे।

चट्टान (12 अक्टूबर) के अनुसार आतंकवादियों के एक गिरोह ने बलूचिस्तान में कोयले की एक खदान में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में कम-से-कम 20 लोग मारे गए और एक दर्जन लोग घायल हो गए। मरने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिक थे। डुकी थाने के इंचार्ज हुमायूं खान ने बताया कि अब तक 20 लाशें बरामद हो चुकी हैं और एक दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हमला रॉकेटों और ग्रेनेडों द्वारा किया गया था। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने गरीब मजदूरों को अपना निशाना बनाया है। इस पूरे क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया गया है।

चट्टान (2 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे अफगानिस्तान में खून की होली खेल सकें। हाल ही में अफगान गुप्तचर विभाग ने छह आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकवादियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने पाकिस्तान स्थित प्रशिक्षण शिविरों में हथियार चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। मुजाहिद ने कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं उनका संबंध सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से है और इन हमलों का संचालन आईएसआईएस के खुरासान विंग द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए यह आरोप लगाया था कि अफगान सरकार आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे पाकिस्तान में हमले करके तबाही मचा सकें। बता दें कि आईएसआईएस खुरासान विंग की स्थापना 2015 में की गई थी। ■

अफगानिस्तान में व्यभिचार के आरोप में नौ लोगों को सजा

चट्टान (12 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार शरिया कानूनों को सख्ती से लागू कर रही है। हाल ही में व्यभिचार के आरोप में नौ लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए,

जिनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। इन्हें कंधार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सजा दी गई। इन पर व्यभिचार और डकैती के आरोप थे। प्रत्येक आरोपियों को 40-40 कोड़े मारे गए और सात-सात साल कैद की सजा दी गई। वहीं, एक अन्य शरिया अदालत ने अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित तखार और समांगन प्रांत में दो पुरुषों और दो महिलाओं को व्यभिचार के आरोप में संगसार करने की सजा दी गई। शरिया के अनुसार संगसार की सजा में दोषी को जमीन में आधा गाड़ दिया जाता है और उसे पत्थर मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने कई बार अफगानिस्तान सरकार से यह अपील की है कि वह शरिया पर आधारित कानूनों को लागू न करे, क्योंकि यह आधुनिक जमाने के अनुरूप नहीं है। जबकि अफगानिस्तान की तालिबान शासन का यह कहना है कि उनके देश में इस्लामी हुकूमत है और शरिया कानूनों को लागू करना उनकी सरकार का धार्मिक कर्तव्य है। तालिबान सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी विदेशी संगठन को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

चट्टान (11 अक्टूबर) के अनुसार अफगान सरकार ने अपने देश में आधुनिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, इस्लामी मदरसों की संख्या में भारी वृद्धि की गई है। अफगानिस्तान में इस्लामिक शिक्षा के उप मंत्री करामतुल्लाह अखुंदजादा ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दीनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष दस लाख बच्चों ने मदरसों में दाखिला लिया है। इस समय अफगानिस्तान के 21 हजार से अधिक मदरसों में कुल 36 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि अफगानिस्तान में निजी और सरकारी स्कूलों की संख्या सिर्फ 18 हजार ही है।

गौरतलब है कि तालिबान 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुए थे। तब देश में सिर्फ 5000 मदरसे थे। सत्ता में आने के बाद तालिबान शासन ने छात्राओं के लिए सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दिए थे। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी।

उर्दू टाइम्स (16 अक्टूबर) के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने मीडिया को यह निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी जीवित प्राणी की तस्वीर मीडिया में न प्रकाशित की जाए। ऐसी हरकत इस्लामी शरिया के खिलाफ है।

अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में राजनयिक संबंध

सियासत (12 अक्टूबर) के अनुसार उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी पुष्टि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी की है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पहले ही मान्यता दे चुके हैं। तालिबान सरकार ने अब्दुल गफार बहर को उज्बेकिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है।

बहर ने अपना परिचय पत्र उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को पेश कर दिया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव ने अफगानिस्तान के राजदूत का परिचय पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। अब राजनयिक संबंध स्थापित होने से दोनों देशों के बीच सहयोग और समृद्धि का एक नया युग शुरू होगा।

बांग्लादेशी करेंसी से शेख मुजीब का चित्र हटाने का फैसला

इंकलाब (10 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला किया है कि देश की करेंसी से बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हटा दिया जाए। इस संबंध में नए नोटों का डिजाइन तैयार किया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि अब बांग्लादेश की करेंसी पर किसका चित्र होगा।

अवधनामा (7 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि अवामी लीग की स्थापना बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ने की थी और हाल तक यह पार्टी बांग्लादेश में सत्तारूढ़ थी। कुछ महीने पहले पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा प्रायोजित उग्र प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। इस समय बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार है। इस सरकार में कुछ छात्र भी शामिल हैं। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार शेख हसीना सरकार के नौ मंत्रियों और 100 से अधिक उच्चाधिकारियों के खिलाफ सामूहिक हत्या के आरोप में सैन्य न्यायाधिकरण में मुकदमे चलाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है और उसके प्रतिनिधियों को कार्यवाहक सरकार में शामिल किया गया है। पिछले दिनों ढाका में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई थी। इस समारोह में यह मांग की गई कि जिन्ना को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में मान्यता दी जाए। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के उच्चाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश गया था। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सैन्य और व्यापारिक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

हिंदुस्तान (16 अक्टूबर) के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के शासनकाल में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ समाचार प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा चलाने की घोषणा की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री नाहिद इस्लाम ने कहा है कि जिन पत्रकारों ने शेख हसीना सरकार के नरसंहार का समर्थन किया था उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे।

ईरान–इजरायल युद्ध में खाड़ी देशों के तटस्थ रहने की घोषणा

الاجتماع الاستثنائي الخامس و الأربعون للمجلس
الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
2 أكتوبر 2024 م
الدوحة – دولة قطر

पिछले दिनों ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने विश्व के मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वे इस्लाम और रसूल की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और इजरायल का विरोध करें। उनकी इस अपील का खाड़ी देशों पर कोई असर नहीं हुआ है।

इंकलाब (5 अक्टूबर) के अनुसार कतर की ओर से खाड़ी के अरब देशों का एक शिखर सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया। विदेशी संवाद समितियों के अनुसार खाड़ी देशों के शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया है कि अगर इजरायल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो खाड़ी के मुस्लिम देश इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और तटस्थ बने रहेंगे। इन देशों को यह भय है कि युद्ध होने पर इजरायली वायुसेना उनके तेल के भंडारों को अपना निशाना बना सकती है और ऐसे में उनकी पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। यह भी पता चला है कि खाड़ी के देश पश्चिमी देशों को नाराज करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भारी मात्रा में सैन्य सामग्री और लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए हैं। अमेरिका यह स्पष्ट घोषणा कर चुका है कि वह हर हालत में इजरायल का समर्थन करता रहेगा और उसे हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। इसी तरह की घोषणा जर्मनी और फ्रांस ने भी की है।

उर्दू टाइम्स (5 अक्टूबर) ने हैरानी प्रकट की है कि दोहा में आयोजित खाड़ी देशों के सम्मेलन में ईरान की सहायता के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी सऊदी अरब का रूख तटस्थ ही रहा है। चीन ने यह प्रयास किया था कि सऊदी अरब खुलकर ईरान की सहायता के लिए मैदान में उतरे, लेकिन सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी दबाव पर इस युद्ध में उलझने से साफ इंकार कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने यह जोर दिया है कि वे फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने के पक्षधर हैं। वे यह चाहते हैं कि फिलिस्तीन और इजरायल के बीच सामान्य संबंध हो।

कौमी तंजीम (4 अक्टूबर) के अनुसार दोहा में खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक के बाद

जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में इन देशों ने यह जोर दिया है कि वे इस नाजुक घड़ी में अपने लेबनानी भाईयों के साथ खड़े हैं और वे लेबनानी जनता को मानवीय आधार पर सहायता पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने विश्व के देशों से अपील की है कि वे यह प्रयास करें कि इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध का विस्तार न हो और दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराने का समझौता किया जाए। इन देशों ने इस क्षेत्र में बढ़ते हुए तनाव पर चिंता प्रकट करते हुए संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह इस क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए कोई सकारात्मक और ठोस प्रयास करे। खास बात यह है कि खाड़ी सहयोग परिषद ने ईरान के उस प्रस्ताव का उल्लेख तक नहीं किया है, जिसमें अपील की गई है कि इस्लामिक देशों को इजरायल के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।

सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की शिक्षा

इंकलाब (16 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी अरब सरकार ने देश के स्कूलों में संगीत की शिक्षा देने की घोषणा की है। सरकारी सूचना के अनुसार इस संदर्भ में नौ हजार शिक्षकों को संगीत का विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगले शैक्षणिक सत्र से सऊदी अरब के स्कूलों में संगीत की नियमित शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। गौरतलब है कि इस्लाम में संगीत की शिक्षा हराम मानी जाती है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक विशेष फरमान जारी करके यह आदेश दिया है कि अफगानिस्तान में जो भी व्यक्ति संगीत की शिक्षा देते हुए पकड़ा जाएगा उसे कम-से-कम 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी। अफगान शासकों ने अपने सभी देशवासियों को यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी के पास कोई वाद्य यंत्र हो तो वह उसे फौरन सरकार के हवाले कर दे ताकि उसे नष्ट किया जा सके। अफगानिस्तान के सरकारी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में 7000 से अधिक वाद्य यंत्रों को नष्ट किया जा चुका है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि हम वाद्य यंत्रों की राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान शुरू कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई वाद्य यंत्र पाया गया तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने उदार नीति अपनाई है। इस नीति के तहत सऊदी अरब में पहली बार 66 सिनेमा घर खोले जा चुके हैं। इससे पहले सऊदी अरब में सिनेमा घर खोलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इसे शरिया के

खिलाफ माना जाता है। अरब देशों में सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसने वाहन चलाने के लिए महिलाओं को लाइसेंस जारी करने की शुरुआत की है। इससे पहले सऊदी अरब में महिलाएं बिना बुर्का पहने घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं, लेकिन अब बिना बुर्का पहने महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर काम करने और खरीदारी करने की अनुमति दी गई है। वहीं, इस्लाम में शराब को भी हराम माना जाता है, लेकिन अब सऊदी अरब में शराब की चार दुकानें खोली जा चुकी हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (16 अक्टूबर) के अनुसार सऊदी सरकार ने देश में विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए यह घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसे 72 हजार रियाल सहायता के रूप में दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए कर्ज लेता है तो उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। संबंधित व्यक्ति दस साल की आसान किस्तों में इस कर्ज को वापस लौटा सकता है। शर्त यह है कि शादी करने के इच्छुक व्यक्ति की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही उसकी मासिक आय 14, 500 रियाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शादी के लिए आर्थिक सहायता सिर्फ एक शादी करने पर ही दी जाएगी। यदि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी शादी के लिए भी वह सहायता पाने का पात्र होगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार अवैध रूप से सऊदी अरब में दाखिल होने के आरोप में सऊदी अरब की वादी हनीफा में 146 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोग यमन और इथियोपिया के नागरिक हैं। पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि सऊदी कानून के अनुसार यदि कोई सऊदी नागरिक किसी विदेशी व्यक्ति को देश में अवैध रूप से घुसपैठ करने में सहायता करता है तो उसे 15 साल की जेल और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा हो सकती है। ■

यमन में हूतियों पर हवाई हमले

सहाफत (6 अक्टूबर) के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के विमानों ने यमन के विभिन्न भागों में हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 25 जहाजों ने हूतियों के 15 ठिकानों पर हमले किए। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के अनुसार ये हमले सफल रहे और हूतियों के अनेक ठिकानों को तबाह कर दिया गया। प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि इन हमलों में कितने लोग मारे गए हैं। गौरतलब है कि हूती विद्रोही काफी समय से लाल सागर में इजरायल और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। इजरायल ने भी यमन में हूतियों के सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों को अपना निशाना बनाया है। कहा जाता है कि इन हमलों में कम-से-कम 400 लोग मारे गए हैं। इन हमलों के लिए इजरायली वायुसेना के 52 विमानों का इस्तेमाल किया गया।

इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार इजरायली जहाजों ने हूतियों के चार मिसाइल स्टेशनों को तबाह कर दिया है। हूती विद्रोही इन

स्टेशनों से इजरायली नगरों को अपना निशाना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त हूतियों के चार गोला बारूद के जखीरों, तीन हवाई अड्डों और चार बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल हूतियों को बर्बाद करके ही दम लेगा। हम इजरायल पर हमला करने वाले किसी भी ताकत को हरगिज नहीं बख्शेंगे। हूतियों के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि उन्होंने इजरायल के विभिन्न नगरों को अपना निशाना बनाने के लिए 200 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन हमलों में तीन इजरायली हवाई अड्डों को तबाह किया गया है। मोसाद के मुख्यालय को भी भारी क्षति पहुंची है और इन हमलों में उसके 50 से अधिक अधिकारी मारे गए हैं।

इजरायली हमले में गाजा सरकार के प्रमुख की मौत

Eliminated
Eliminated
Eliminated

उर्दू टाइम्स (4 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसके एक हवाई हमले में गाजा में हमास सरकार का प्रमुख रावही मुश्ताहा मारा गया है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि गुप्तचर सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर इजरायली सेना के वायुयानों ने गाजा में एक सुरंग को अपना निशाना बनाया, जिसमें ये लोग छिपे हुए थे। इस भूमिगत कमांड सेंटर में स्थित हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। इसके अतिरिक्त इस हमले में हमास के राजनीतिक ब्यूरो का सुरक्षा प्रभारी समेह अल-सिराज और कमांडर समी औदेह की भी मौत हो गई है। इजरायली सेना ने यह भी पुष्टि की है कि लेबनान में जमीनी हमले में इजरायल के आठ सैनिक मारे गए हैं, जिनमें एक 22 वर्षीय कैप्टन भी शामिल है। दूसरी ओर, अमेरिका ने इजरायल पर ईरानी हमले की निंदा की है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान ने 20 मिसाइल दागकर मोसाद के मुख्यालय और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया है।

रोजनामा सहारा (12 अक्टूबर) के अनुसार इजरायली हमले में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्लाह मारा गया है। इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना ने तुलकरम स्थित शिविर पर हमला किया था, जिसमें इस्लामिक जिहाद का प्रमुख मोहम्मद अब्दुल्लाह मारा गया है। इसके अतिरिक्त नूर शम्स शरणार्थी शिविर में इस्लामिक जिहाद का एक अन्य कमांडर मोहम्मद अहमद को भी मार गिराया गया है। अब्दुल्लाह को इस्लामिक जिहाद का प्रमुख मोहम्मद जाबेर की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। वह इजरायल में इस्लामिक जिहाद के हमलों का मुख्य संचालक था।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल सरकार ने एक इजरायली हवाई अड्डे को ईरानी मिसाइलों द्वारा निशाना बनाए जाने का समाचार प्रकाशित करने वाले पांच पत्रकारों को हिरासत में ले लिया है। उन पर युद्ध में दुश्मन की मदद करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि ईरान ने एक सप्ताह पहले इजरायल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) ने यह दावा किया था कि 90 प्रतिशत ईरानी मिसाइलों ने इजरायली ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। जबकि इजरायल ने ईरान के इस दावे का खंडन किया था। इजरायल सरकार का आरोप है कि इन पत्रकारों ने बिना तथ्यों की जांच किए आईआरजीसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर खबर प्रकाशित की थी, जो इजरायली हितों के खिलाफ था।

रूस द्वारा ईरान का बचाव

उर्दू टाइम्स (12 अक्टूबर) के अनुसार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। रूसी विदेश मंत्री ने इस आरोप का खंडन किया है कि ईरान अपने सैन्य लक्ष्य के लिए परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी देशों ने ईरान को अपना निशाना बनाया तो इससे विश्वयुद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो जाएगा।

एतेमाद (12 अक्टूबर) के अनुसार हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। यह मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में हुई है। इस मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस

के साथ हमारे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध दिन-प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि इजरायल जानबूझकर विश्व को एक युद्ध की ओर धकेल रहा है और वहां की सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहते।

समाचारपत्र का कहना है कि ईरान में यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि इजरायल की धमकियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान परमाणु बम बनाए। हाल ही में इस संदर्भ में ईरान के 39 सांसदों ने अपने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर उनसे यह आग्रह किया है कि इजरायल की धमकियों पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि ईरान अब परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण तरीके से करने के बजाय उसे सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करे। इन सांसदों ने ईरान के धार्मिक प्रमुख अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी आग्रह किया है कि वे अपने उस फतवे पर पुनर्विचार करें, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने पर जोर दिया गया है।

वरिष्ठ ईरानी सांसद हसन अली अखलागी अमीरी ने कहा है कि इजरायल संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि इजरायल के आक्रामक इरादों पर लगाम लगाने के लिए ईरान परमाणु हथियार विकसित करे। अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खर्राजी का कहना है कि अगर इजरायल ने ईरान को धमकियां देना जारी रखा तो हम अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खामेनेई बदलती हुई परिस्थितियों पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अगर इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को अपना निशाना बनाया तो ईरान भी परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकता है। ईरान के एक वरिष्ठ जनरल ने कहा है कि अगर इजरायल ने हमारे तेल ठिकानों को अपना निशाना बनाने की गलती की तो ईरान उसे तबाह कर देगा।

कौमी तंजीम (3 अक्टूबर) के अनुसार इराक ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल के साथ शामिल हुआ तो हम इस क्षेत्र के सभी अमेरिकी अड्डों को अपना निशाना बनाएंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम संगठनों में मतभेद

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 लोगों को उम्रकैद

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अजमेर दरगाह से जुड़े छह दोषियों को छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वक्फ संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के हवाले

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार

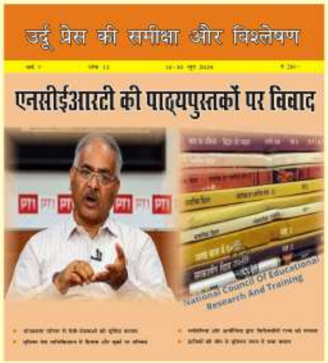
उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

लोकसभा के चुनाव परिणाम उर्दू अखबारों की नजर में

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

पश्चिम बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in